रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 925] नई दिल्ली, शुक्रवार, दिसम्बर 28, 2018/पौष 7, 1940
No. 925] NEW DELHI, FRIDAY, DECEMBER 28, 2018/PAUSHA 7, 1940

IndiaCode

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 दिसम्बर, 2018

सा.का.नि. 1241(अ).—मानव निर्मित रेशे के संबंध में भारत के राजपत्र, असाधारण में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में भारत सरकार की अधिसूचना सं. सा.का.नि. 36 (अ), दिनांक 17 जनवरी, 2018 द्वारा प्रारूप अधिसूचना प्रकाशित की गई थी जिसमें उससे प्रभावित होने की संभावना वाले सभी व्यक्तियों से आम जनता को उक्त अधिसूचना को अंतर्विष्ट करने वाले राजपत्र की प्रतियां उपलब्ध कराए जाने की तिथि से साठ दिनों की अवधि के अंदर आपत्तियां एवं सुझाव आमंत्रित किए गए थे;

और, राजपत्र की प्रतियां तारीख 17 जनवरी, 2018 को जन-सामान्य को उपलब्ध कराई गई;

और, प्रारूप अधिसूचना की प्रतिक्रिया में सभी व्यक्तियों एवं हितधारकों से प्राप्त सभी आपत्तियों एवं सुझावों पर केंद्र सरकार द्वारा उचित रूप से विचार किया गया है;

अत: अब पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) के साथ पठित पर्यावण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धाराएं 6 और 25 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्र सरकार पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 में और संशोधन लाने हेतु एतद्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात:-

केन्द्रीय सरकार पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात :-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ** :- (1) इन नियमों का नाम पर्यावरण (संरक्षण) चौथा संशोधन नियम, 2018 है।

(2) ये नियम सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।

2. पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 में अनुसूची-I में, क्र.सं. 42 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के लिए निम्नलिखित क्र.सं. तथा प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी अर्थात :-

क्र.सं.	उद्योग	मानदण्ड	मानक
(1)	(2)	(3)	(4)
"42	पेन्ट उद्योग	**क- उत्सर्जन मानक**	
			संकेन्द्रण इससे अधिक न हो
		पार्टिकुलर मैटर (प्रि-मिक्सर तथा मिक्सर से संबद्ध सभी प्रक्रियाओं के निकास मार्ग)	50 मिग्रा /Nm^3
		टिप्पण :- (i) धूल उत्पन्न करने वाले सभी उपस्करों या प्रक्रियाओं में धूल निष्कासन की व्यवस्था की जाएगी। (ii) सभी बोरा गृहों आदि को न्यूनतम 12 मीटर ऊँची या उद्योग में भवन, शेड या संयंत्र के सर्वोच्च बिन्दु से न्यूनतम दो मीटर ऊपर, जो भी ऊँची हो, चिमनियों या चट्टों से जोड़ा जाएगा। (iii) इकाई, शॉप फ्लोर या परिभ्रमणशील उत्सर्जनों को उद्योग में 12 मी. ऊँचाई वाले चट्टे या भवन या शेड या संयंत्र के सर्वोच्च बिन्दु से न्यूनतम दो मीटर ऊपर के चट्टे, जो भी अधिक ऊँचा हो, के माध्यम से सरणीकृत करेगी।	
		ख. बहि:स्राव मानक	
		(i) बड़े पैमाने पर जल आधारित संयंत्र, प्रसंस्करण खंड से शून्य द्रव निस्सरण का पालन करेंगे। (ii) सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 (2006 का 27) के अनुसार सभी सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम इकाइयां तथा विलायक आधारित बड़े पैमाने की पेंट इकाइयां निम्न प्रकार से मानकों का पालन करेंगी :	
		मानदंड	संकेन्द्रण इससे अधिक नहीं (मिग्रा/लि. pH, जैव निर्धारण को छोड़कर)
		pH	6.5 -8.5
		कुल सस्पेंडिड ठोस (TSS)	100
		बायोकेमिकल आक्सीजन डिमांड (BoD)(27^0C पर 3 दिन)	30
क्र.सं.	**उद्योग**	**मानदंड**	**मानक**
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**
		फेनोलिक्स C_2 H_5OH	1.0
		तेल और ग्रीस	10
		जैव निर्धारण परीक्षण	96 घंटों में 100% बहि:स्राव से 90% उत्तरजीविता
		भारी धातुं	
		सीसा Pb	0.1
		क्रोमियम (हेक्सावेलेन्ट)	0.1

IndiaCode

		कुल क्रोमियम	2.0
		तांबा Cu	2.0
		निकल Ni	2.0
		जिंक Zn	5.0
		आरसेनिक As**	0.2
		कोबाल्ट Co	0.2
		कुल भारी धातुएं	7.0
		ग - प्रयोगोपरान्त अपशिष्ट जल	
		उद्योग द्वारा प्रयोगोपरान्त अपशिष्ट जल के 'शून्य निस्सरण' के लिए सभी प्रयास किये जाएंगे, और यदि उद्योग, प्रयोगोपरान्त अपशिष्ट जल का निस्सरण बेहतर समझता है, तो निम्नलिखित मापदण्डों का अनुपालन किया जाएगा :-	
			संकेन्द्रण इससे अधिक न हो (pH तथा तापमान को छोड़कर मिग्रा/प्रति लि.)
		pH	6.5 - 8.5
		सस्पेंडिड ठोस	100
		तेल और ग्रीस	10
		तापमान	अन्तर्ग्रहण जल के तापमान से 5^0C से अधिक नहीं
		घ - वर्षा जल	
		(i) किसी संयंत्र, इकाई के लिए वर्षा जल, (जिसके भूखंड का आकार न्यूनतम 250 वर्ग मी. है) मार्जक जल, बहि:स्राव और / या फर्श की धोवनों के साथ मिश्रित नहीं होने दिया जाएगा। (ii) किसी इकाई की बैटरी सीमा के भीतर वर्षा जल को, उच्च घनत्व पोलि एथीलीन (एचडीपीई) की लाइनों के माध्यम से गुजरने वाली भिन्न नाली या पाइप के द्वारा निकाल कर एक गड्ढे तक ले जाया जाएगा जिसकी क्षमता 10 मिनट (घंटेवार औसत से) के वर्षा जल को धारण करने की हो।	
		ड. विलायक क्षतियों के लिए दिशा-निर्देश	
		(i) यदि प्रयुक्त विलायक, 1000 टन/वर्ष से कम है तो विलायक की कुल क्षति प्रयुक्त विलायक के 5% से अधिक नहीं होगी; और (ii) यदि प्रयुक्त विलायक 1000 टन/वर्ष से अधिक है तो विलायक की कुल क्षति प्रयुक्त विलायक के 3% से अधिक नहीं होगी।	
		*इकाइयां शोधित बहि:स्राव में भारी धातुओं की निर्धारित सीमाओं का पालन करेंगी तथापि, ऐसे मामलों में जहां अन्तर्ग्रहीत जल में भारी धातुओं का संकेन्द्रण निर्धारित सीमाओं से अधिक है, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या प्रदूषण नियंत्रण समितियां भारी धातुओं की अधिक सीमाएं विनिर्दिष्ट कर सकती हैं, बशर्ते अधिकतम सीमा अन्तर्ग्रहण जल की पृष्ठभूमि सीमाओं तक निर्बन्धित हो। **यदि यदि भू-जल में As भू-संरचना जनित (जियोजेनिक) है, तो राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/प्रदूषण नियंत्रण समितियां इससे संबंधित सीमा में समुचित रूप से छूट	

IndiaCode

		दे सकती हैं बशर्ते अपरिष्कृत जल (रॉ वाटर) में As की मात्रा के अलावा अपशिष्ट जल में As की मात्रा 0.2 मि.ग्रा./ली. से अधिक न हो और कुल भारी धातुओं की सीमा अनुरक्षित रहे।

[फा. सं. क्यू- 15017/39/2011-सीपीडब्ल्यू]

डा. ए. सेन्थिलवेल, वैज्ञानिक 'जी'

नोट :- मूल नियम भारत का राजपत्र, असाधारण, भाग-II खंड-3, उपखंड- (i) का.आ. सं. 844(अ), दिनांक 19 नवंबर, 1986 के द्वारा प्रकाशित किये गये थे और अंतिम बार अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 1025 (अ) दिनांक 9 नवम्बर, 2018 के द्वारा संशोधित किये गये थे।

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th December, 2018

G.S.R. 1241(E).—Whereas, a draft notification, for Man-Made Fibre was published in the Gazette of India, Extraordinary, vide notification of the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change vide number G.S.R. 36 (E), dated the 17th January, 2018, inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby within a period of sixty days from the dated on which copies of the Gazette containing the said notification were made available to the public;

And Whereas, copies of the Gazette were made available to the public dated 17th January, 2018;

And Whereas, all objections and suggestions received from all persons and stakeholders in response to the draft notification have been duly considered by the Central Government;

Now Therefore, in exercise of the powers conferred by sections 6 and 25 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) read with sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Environment (Protection) Rules, 1986,namely:-

1. **Short title and commencement.-**(1) These rules may be called the Environment (Protection) fourth Amendment Rules, 2018.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Environment (Protection) Rules, 1986, in Schedule-I, for serial number 42 and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be substituted, namely:-

S.No.	Indus	Parameter	Standards
(1)	(2)	(3)	(4)
"42	Paint Industry	**A- Emission Standards**	
			Concentration not to exceed
		Particulate Matter (all process vents attached to pre-mixers and mixers	50 mg/Nm^3

		Note:- (i) All dust generating equipment or processes shall be provided with dust extraction arrangement. (ii) The bag houses, etc. shall be connected to chimneys or stacks of at least twelve metres height or at least two metres above the top most point of the building, shed or plant in the industry, which so ever is higher. (iii) The unit shall channelise shop floor or fugitive emissions through a stack of twelve metres height or at least two metres above the top most point of the building or shed or plant in the industry, which so ever is higher.	
		B. Effluent Standards	
		(i) Large scale water based plants shall meet zero liquid discharge from process section. (ii) All Micro, Small and Medium units as per Micro, Small and Medium Enterprises Development Act, 2006 (27 of 2006) and Solvent based large scale paint units shall meet the standards given as:	
		Parameter	Concentration not to exceed, (in mg/l except for pH and Bioassay)
		pH	6.5 – 8.5
		Total Suspended solid (TSS)	100
		Bio-Chemical Oxygen Demand (BOD) (3 days at 27^0C)	30
S. No.	**Industry**	**Parameter**	**Standards**
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**
		Phenolics as C_6H_5OH	1.0
		Oil and Grease	10
		Bio-Assay Test	90% survival in 100% effluent in 96 hours
		Heavy Metals*	
		Lead as Pb	0.1
		Chromium (Hexavalent)	0.1
		Total Chromium	2.0
		Copper as Cu	2.0
		Nickel as Ni	2.0
		Zinc as Zn	5.0
		Arsenic as As**	0.2
		Cobalt as Co	0.2
		Total Heavy metals	7.0
		C- Service Wastewater	
		All efforts shall be made by the industry for 'zero discharge' of service wastewater, and in case, the industry prefers to discharge service wastewater, the following norms shall be complied with:-	
			Concentration not to exceed, (in mg/l except for pH and temperature)

IndiaCode

		pH	6.5 – 8.5
		Suspended Solids	100
		Oil and Grease	10
		Temperature	Not more that 5°C higher than the intake water temperature
		D- Storm-Water	
		(i) Storm water for a plant, a unit (having plot size at least 250 square metres) shall not be allowed to mix with scrubber water, effluent and/or floor washings. (ii) Storm water within the battery limits of a unit shall be channelized through separate drain or pipe passing through a High Density Poly ethylene (HDPE) lines pit having holding capacity of 10 minutes (hourly average) of rainfall.	
		E- Guidelines for Solvent Losses	
		(i) the total losses of solvent should not be more than 5% of the solvent consumed, if solvent consumption less than 1000 tons/Annum; and (ii) the solvent loss should not be more than 3% of the solvent consumed, if solvent consumption greater than 1000 tons/Annum.	
		* The units shall meet the prescribed limits of heavy metals in treated effluent, however, in cases where heavy metal concentration in intake water is more than prescribed limits, State Pollution Control Boards or Pollution Control Committees may specify higher limits of heavy metals provided the maximum limits are restricted to the background limits of intake water. ** In case As is geogenic in ground water, the State Pollution Control Boards/Pollution Control Committees may relax the limit with respect to it appropriately, provided the built of As in waste water does not exceed 0.2 mg/l over and above the As in raw water and limit with respect to total heavy metals is maintained".	

[F. No. Q-15017/39/2011-CPW]

DR. A. SENTHIL VEL, Scientist 'G'

Note:- The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3,Sub-section (i) *vide* number S.O. 844 (E), dated the 19th November, 1986 and lastly amended *vide* notification number G.S.R. 1025(E), dated the 9th November, 2018.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2019.01.03 14:52:32 +05'30'